9

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 30/2016

GCMS CASE NO-2016/00041

1.राजकुमार पुत्र श्री बद्रीप्रसाद जाति वालमिकी निवासी वार्ड न0 32 सूरतगढ

2. रतनलाल पुत्र श्री बद्रीप्रसाद जाति वालमिकी निवासी वार्ड न0 32 सूरतगढ

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री भगवानदत्त शर्मा अधिवक्ता, श्री रामस्वरूप बारूपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री शीशपाल शर्मा रेस्पोडेंट संख्या 02

:: निर्णय :: दिनांकः– 15.05.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 04.09.2006 जिसके द्वारा अपीलांट के पिता के नाम रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 458 में 6.325 है0, भूमि को पैराफेरी क्षेत्र में मानकर टीसी खारिज कर दी गई थी जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न है।
2. प्रकरण में अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 04.09.2006 द्वारा अपीलांट के पिता बद्रीप्रसाद पुत्र श्री किशनाराम को रोही कस्बा सूरतगढ को रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 458 में 6.325 है0 भूमि का आरजी आवंटन अधिकार क्षेत्र के बिना कानून के विपरीत एवं आपीलांट के पिता को सुने बिना विधि प्रकिया के विपरीत पत्रावली एवं साक्ष्य की अनदेखी कर पारित किया गया है। अपीलांट के पिता का देहांत वर्ष 2000 में हो चुका था जिसकी सूचना रेस्पोडेंट को दे दी गई थी इसके बावजूद भी वारिसान को पक्षकार बनाये बिना मृत व्यक्ति के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध व कानून के विपरीत पारित किया गया है। अपीलांटगण को बिना सुने अपीलांटगण के पिता के नाम से टीसी रकबा को खारिज कर रकबा बहक सरकार लेने के आदेश दिये गये है। जो निम्न कारण से निरस्ती योग्य है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा व रामस्वरूप बारूपाल उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट 01 की ओर से पैरोकार राज व रेस्पो. 02 की और से श्री शीशपाल शर्मा हाजिर आये। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि इन आदेशों का ज्ञान प्रार्थी को दिनांक 26.4.2016 को तहसील से हुआ जब अपीलांट ने खातेदारी हेतु पटवारी से सम्पर्क किया तो ज्ञान होते ही दिनांक 26.4.2016 को नकल का आवेदन किया दिनांक 9.5.2016 को नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील प्रस्तुत कर रहा है। नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के प्रार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 18:45:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(12)

5. राजपैरोकार ने कथन किया कि अपीलांट ने मातहत न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 04.09.2006 के विरूद्ध दिनांक 19.05.2016 को 8 साल बाद बाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश की गईहै, जो पूर्णतया मियाद बाहर है।अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद मे विलम्ब का कोई ठोस कारण स्पष्ट नही किया है।संतोषजनक कारण के अभाव मे अपील मियाद बाहर होने के कारण निरस्त योग्य है। कानूनी नजीर आरआरटी 2015 (2) पेज नम्बर 1090, आरआरटी 2015 (1) पेजनम्बर 232, आरआरटी 2002 पेज 33 आरआरटी 2010 पेज 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नहीं है।अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तरपर खारिज की जावे।

6. रेस्पोडेंट संख्या 02 की तरफ से अधिवक्ता ने कथन किया कि पत्रावली में दिनांक 04.09.2006 के विरूद्ध दिनांक 9.05.2016 को 10 साल बाद बाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश की गईहै, जो पूर्णतया मियाद बाहर है।अपील में अपीलांट ने मातहत न्यायालय में दिनांक 19.04.2016 को जवाब भी पेश किया कि अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद मे विलम्ब का कोई ठोस कारण स्पष्ट नही किया है।संतोषजनक कारण के अभाव मे अपील मियाद बाहर होने के कारण निरस्त योग्य है। कानूनी नजीर आरआरटी 2015 (2) पेज नम्बर 1090, आरआरटी 2015 (1) पेजनम्बर 232, आरआरटी 2002 पेज 33 आरआरटी 2010 पेज 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नहीं है।अतः अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तरपर खारिज की जावे।

7. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 20 सीपीसी पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 ने कथन किया कि अपील में अपीलांट ने रोही कस्बा सूरतगढ का रकबा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ द्वारा नगरपालिका सूरतगढ के पैराफेरी क्षेत्र मानकर टीसी खारिज किया है निरस्ती के पश्चात रकबा राज होने के नगरपालिका सूरतगढ को आबादी विस्तार हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने आरक्षित कर हस्तांतरित कर दिया है तथा यह रकबा राजस्व रिकार्ड में नगरपालिका सूरतगढ के नाम दर्ज हो चुका है। उक्त रकबा नगरपालिका सूरतगढ के नाम दर्ज रिकार्ड है इस प्रकरण में जो भी निर्णय होगा उससे नगरपालिका सूरतगढ के हित प्रभावित होंगे इसलिये प्रार्थी हितबद्ध व आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में पक्षकार को उतरवादी बनाया जावे ताकि प्रार्थी अपने रकबा का इस प्रकरण में अपना क्लेम रख सके। अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि यह प्रार्थना पत्र मात्र विलम्ब के लिए प्रस्तुत कियागया है अदालत का कीमती समय व्यर्थ में व्यतीत करने के लिए एक के बाद दूसरा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है एवं अप्रार्थी को न्याय प्राप्त न हो सके इसलिये अंमित तर्क से पूर्व अपील में पक्षकार ना होते हुए व पक्षकार बनने का अधिकारी ना होते हुए भी एक के बाद दूसरा प्रार्थनापत्र निराधार रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।जिसके लिए प्रार्थी पर भारी कोस्ट लगायी जानी उचित है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिया गया था उसे विड्रो किए बिना नया प्रार्थना पत्र श्रवण योग्य नहीं है क्योंकि वर्तमान में श्रीमान जी के समक्ष वाद विचाराधीन नहीं है बल्कि अपील विचाराधीन है। अपील में यह प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य था अपील के लिए आदेश 41 में अपील में अपनायी जाने वाली प्रकिया का पूर्ण विवरण है।इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार होने पर ही किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाता है एवं पक्षकार बनाने हेतु अपील हेतु निर्धारित समय अवधि में पक्षकार का संयोजन किया जा सकता है। उक्त दोनो बिन्दु वर्तमान प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं है। इस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कतई चलने योग्य नहीं है। अपील में सम्बंधित पक्षकार राजस्थान सरकार है। जिसे पक्षकार बना दिया गया है। अतः जवाब पेश कर निवेदन [illegible] प्रार्थना पत्र पर भारी कोस्ट कायम कर निरस्त किया जावे ।

9. [illegible] ने पक्षकार बनाए जाने के सम्बंध में निम्न न्याय उद्धरण पेशकिए है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.21 18:46:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

क्र.स.	न्याय उद्धरण	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण व्यवहार प्रकिया	वही व्यक्ति पक्षकार बन सकता है जो अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकाररहा हो।
2	आरआरडी 1989 पेज 527	सरकार के खिलाफ वाद आवंटिती को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही आवंटिती सरकार के शू में अधिकार प्राप्त करता है। सरकार पूर्व में पक्षकार है।
3	आरआरडी 1995 पेज 677	सरकार के खिलाफ वाद आवंटिती को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही आवंटिती सरकार के शू में अधिकार प्राप्त करता है। सरकार पूर्व में पक्षकार है।
4	आरआरडी 1995 पेज 577	इसमे वादी का अधिकार है वो किसी को पक्षकार बनाये उसके इच्छा के विरूद्ध किसी को पक्षकार नही बनाये।
5	आरएलडब्ल्यू 2014 (2) आरजे	धारा 151 सीपीसी का सहारा लेकर वादी की इच्छा के विरूद्ध किसी को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता।
6	आरआरटी 2014–15 सप्लीमेंटरी	खरीददार को पक्षकार बनाना आवश्यक नही हैखरीददार विकयकर्ता के अधिकार ही प्राप्त करेगा जो पूर्व में पक्षकार है।
7	आरआरटी पेज 2011पेज 804	इसमे वादी का अधिकार है वो किसी को पक्षकार बनाये उसके इच्छा के विरूद्ध किसी को पक्षकार नही बनाये।
8	आर बीजे 2013 पेज 236	अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार ना होने पर अपील न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है।
9	आरएलडब्ल्यू 2014 आरजे 297 पेज 298	अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार ना होने पर अपील न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है।

10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया जैरअपील रकबा में रेस्पोडेंट संख्या 02 हितबद्ध पक्षकार है तथा रकबा पर रेस्पोडेंट का हितनिहित है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 20 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

11. गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांटस द्वारा अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 04.09.2006 द्वारा अपीलांट के पिता बद्रीप्रसाद पुत्र श्री किशनाराम को रोही कस्बा सूरतगढ को रोही कस्बा सूरतगढ के ख.न. 458 में 6.325 है0 भूमि का आरजी आवंटन अधिकार क्षेत्र के बिना कानून के विपरीत एवं आपीलांट के पिता को सुने बिना विधि प्रकिया के विपरीत पत्रावली एवं साक्ष्य की अनदेखी कर पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश विधि प्रकिया के विपरीत व अपीलांट के पिता को बिना सुने व सुनवाई हेतु प्रेषित नोटिस की विधि विरूद्ध तरीके के की गई तामीली को विधि अनुसार मानकर अपीलांट के पिता के पीठ पीछे बिना सुने पारित किया गया अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय है। अपीलांट के पिता का देहांत वर्ष 2000 में हो चुका था जिसकी सूचना रेस्पोडेंट को दे दी गई थी इसके बावजूद भी वारिसान को पक्षकार बनाये बिना मृत व्यक्ति के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध व कानून के विपरीत पारित किया गया है जो कि पालनीय नहीं है। आदेश अदालत मातहत मात्र इसी आधार पर निरस्ती योग्य है। साथ ही निवेदन है कि नवीनीकरण अपीलांट के नाम स्वीकृत हो चुका था अपीलांट द्वारा नोटिस का जवाब भी दे दिया गया था किन्तु उस पर विचारण नहीं किया गया व अपीलांट को यही कहा गया की नोटिस आपका निरस्त कर दिया गया है अब तुम घर जाओ आगे तारीख पेशी नहीं बताई गई आदेश विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है जो कि नरस्ती योग्य है। आदेश तहसीलदार सूरतगढ का आदेश दिनांक 04.09.2006 आवंटन नियमों के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के विपरीत पारित किया गया है आरजी काश्त आवंटन नियम 1956 में कही भी तहसीलदार राजस्व को आवंटन निरस्ती के अधिकार नहीं है। यह अधिकार मात्र जिला कलक्टर को है अधिकार क्षेत्र से परे आदेश प्रारम्भिक रूप से Ab initio wrong की परिभाषा में आते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 13:45:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रभावकारी है इसलिए निरस्ती योग्य है। अपीलांट आवंटित भूमि पर आज भी काबिज है एवं उसे अपीलाधीन आदेशों में अंकित वेस्ट लैण्ड आवंटन नियमों में आवंटन हुआ ही नही ये नियम 1996 में बने जब की अपीलांट को प्रश्नगत भूमि काफी पुरानी आवंटित होकर नवीनीकरण के आधार पर कब्जा काश्त में चली आ रही है उसे उसने सुधार कर काबिल काश्त बनाया है। आवंटन नियमों में 2005 तक रकम राज गे जमा होने व धारण में होने पर पुख्ता आवंटन एवंभार मुक्त होने उपनिवेशन खातेदारी प्राप्त करने के अधिकार थे जानबूझकर विधि प्रकिया व अधिकारक्षेत्र से बाहर कानून विपरीत तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है काबिल निरस्ती योग्य है इसके अतिरिक्त अपीलांट का निवेदन है कि अपीलांट के पिता को भूमि का आवंटन उपनिवेशन क्षेत्र में आरजी काश्त भूमि आवंटन उपनिवेशन क्षेत्र में आरजी काश्त भूमि आवंटन अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवंटन होकर कब्जा काश्त में चली आ रही है।इस प्रकार आवंटित भूमि को निरस्त करने का अधिकार मात्र जिला कलक्टर को है। आदेश अपीलाधीन अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किये गये है जो अधिकारातीत होने से अप्रभावकारी है और काबिल निरस्ती योग्य है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर आवंटन निरस्त किया गया है। उसका माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो पठन किया गया ना ही मनन किया गया प्रशनगत वर्णित आदेश अनुपयोगी भूमि आवंटन नियम 1996 के किये गये है। उपनिवेशन अधिनियम पर यह निर्देश प्रभावकारी नहीं राजस्थान उपनिवेशन में आरजी काश्त शर्ते 1955 में आवंटित भूमि के शहरी पैराफेरी के आवंटन नियमों पर रोक नहीं है। द्वितीय भूमि उपनिवेशन मुक्त होने पर राजथान भू आवंटन अधिनियम 1970 में आने के पश्चात अपीलांट नियमानुसार खातेदारी के पात्र बनते है। निराधान बिना सुने बिना विधि प्रकिया अपनाये आदेश अपीलाधीन कतई कायम रहने योग्य नहीं काबिल निरस्ती योग्य है।आदेश अपीलाधीन का प्रथमतः Ab initio wrong क्षेत्राधिकार से बाहर होने से अप्रभावकारी है जिसका अपीलांट को कतई जानकारी नही है अपीलांट ने तहसील में खातेदारी हेतु

12. पता किया तो उसे आदेश का दिनांक 26.4.2016 को तहसील से हुआ जब अपीलांट ने खातेदारी हेतु पटवारी से सम्पर्क किया तो ज्ञान होते ही दिनांक 26.4.2016 को नकल का आवेदन किया दिनांक 9.5.2016 को नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील प्रस्तुत कर रहा है। नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के प्रार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील अपीलांट बाद सुनवाई अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 07.09.2006 अधिकार क्षेत्र से बाहर प्रकिया व तथ्यों के विपरीत पारित माना जाकर निरस्त फरमाया जावे, खर्चा अपील दिलाया जावे, अपीलांट को आरजी काश्तकार माना जाकर अपीलाधीन भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने का आदेश भी मातहत अदालत को दिये जावे।

13. रेस्पोडेंट संख्या 01 राजपैरोकार ने दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने मातहत न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 19.05.2016 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया है। इससे यह साबित है कि अपीलांट जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतय ज्ञान था। मातहत न्यायालय के आदेश से पूर्व अपीलांट को सुना गया था ततपश्चात आदेश हुआ था। अपीलांट ने अपनी अपील में यह कतई दर्ज नहीं किय कि उसने जैर अपील आदेश की जानकरी ना हो, इसलिए अपीलांट को जैर अपील आदेश की पूर्णतया जानकारी थी। इसलिए अपील पेश करने में जानबूझकर देरी की गई है। टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही आवंटन होता है, एक साल पश्चात समयावधि समाप्त होते ही टीसी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। न्यायिक दृष्टांत–RRD 1992 Page No- 431 अनुसार–A Lease of Temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period-an heir to a deceased allottee can-not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits. न्यायिक दृष्टांत–RRT 2018 (1) Page No 364 decided on 19th may 2017 के अनुसार A Lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease. न्यायिक दृष्टांत RRD 1995 Page No- 431 के अनुसार टीसी अवधि के समाप्ति के पश्चात स्वतः ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता है। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। यह अनवानी अपील अपीलांट ने दिनांक 04.09.2006 विरूद्ध दिनांक 19.05.2016 को [illegible] श्रीमान जी के न्यायालय मे पेश की है जो पूर्णतय मियाद बाहर है अपीलांट ने टीसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 13:45:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(13)

आवंटन की शर्त, टीसी का नवीनीकरण एक साल के लिये होता है। एक साल बाद टीसी नवीनीकरण के लिए तहसीलदार के पास उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है। अपील में अपीलांट ने विलम्ब माफी हेतु कोई कारण नहीं बताया है। संतोषजनक कारण के अभाव में अपील मियाद बाहर होने से काबिल निरस्ती है। कानूनी नजीर RRT 2015(2) page no 1090 RRT 2015(1) page no 232 RRT 2002 page no 33 RRT 2010 page no 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नहीं है। टीसी आंवटी को कभी भी रकबा पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। इस कारण अपीलांट ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये अपील खारिज योग्य है।टीसी आवंटी को उसके टीसी आवंटित रकबे में किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नही होता है कानूनी नजीर आरआर जे 1999 के पेज संख्या 214 के अनुसार इस प्रकार का अपीलांट को इस प्रकार के रकबे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे इसलिए भी अपील खारिज योग्य है। अपीलांट ने इस अपील में एक तरफा आदेश के खिलाफ अपील पेश करके अनतोष चाहा है जबकि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे एक तरफा आदेश के निरस्त करने का अनुतोष ले सकते थ अपीलांट को ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील करने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए अपील खारिज योग्य है। अपीलांट का इस रकबा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है अपीलांट के लगातार उक्त रकबा पर काश्त नहीं की है अपीलांट के अपील के साथ कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि उसने इस रकबे को लगातार काश्त होना भी कानूनी अनिवार्य है अपील खारिज योग्य है।जैर प्रकरण रकबा जमाबंदियो में शुरू से ही आराजीराज था यह रकबा लगातार कब्जा काश्त के अभाव में निरस्ती योग्य था अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है। जैर प्रकरण में रकबा का टीसी निरस्ती हेतु श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को अधिकृत किया था अस्थायी आवंटन नियम 1955 के नियम 4(5) के अनुसार तहसीलदार को शक्तियां है तथा नियम 23 के अनुसार तहसीलदार को अधिकार भी है इसलिये मातहत न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है।अपीलांट का टीसी आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा नहीं किया गया है अतः मौखिक बहस के साथ लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि अपील पूर्णतया मियाद बाहर होने से तथा अपीलांट को जैर प्रकरण रकबे में कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता है। टीसी आवंटन शर्त के अनुसार अपीलांट शर्त भी पूरी नहीं करता है व अपीलांट के नाम लगातार टीसी नवीनीकरण नहीं है व लगातार कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि संगत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

14. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 02 ने कथन किया कि उक्त अनवानी अपीलांट ने दिनांक 04.09.2006 के विरूद्ध दिनांक 19.04.2016 को 10 साल पश्चात अपील पेश कि है जो मियाद बाहर है। तथाकथित टीसी आवंटी फौत हो चुका है व टीसी का नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। व न ही वारिसों के नाम से टीसी आवंटन हुआ है। न्यायिक दृष्टांत–RRD 1992 Page No- 431 अनुसार–A Lease of Temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period-an heir to a deceased allottee can-not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits. न्यायिक दृष्टांत–RRT 2018 (1) Page No 364 decided on 19th may 2017 के अनुसार A Lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease. न्यायिक दृष्टांत RRD 1995 Page No- 431 के अनुसार टीसी अवधि के समाप्ति के पश्चात स्वतः ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता है। इसलिए अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त अनवानी अपील अपीलांट ने दिनांक 04.09.2006 विरूद्ध 10 वर्ष बाद श्रीमान जी के न्यायालय मे पेश की है जो पूर्णतय मियाद बाहर है अपीलांट ने टीसी आवंटन की शर्त, टीसी का नवीनीकरण एक साल के लिये होता है। एक साल बाद टीसी नवीनीकरण के लिए तहसीलदार के पास उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है। अपील में अपीलांट ने विलम्ब माफी हेतु कोई कारण नहीं बताया है। संतोषजनक कारण के अभाव में अपील मियाद बाहर होने से काबिल निरस्ती है। कानूनी नजीर RRT 2015(2) page no 1090 RRT 2015(1) page no 232 RRT 2002 page no 33 RRT 2010 page no 801 के अनुसार देरी माफी योग्य नहीं है। टीसी आंवटी को कभी भी रकबा पुख्ता आवंटन नहीं हुआ है। इस कारण अपीलांट ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इसलिये अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Sengara
Date: 2024.06.24 15:46:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

14

खारिज योग्य है।टीसी आवंटी को उसके टीसी आवंटित रकबे में किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है कानूनी नजीर आरआर जे 1999 के पेज संख्या 214 के अनुसार इस प्रकार का अपीलांट को इस प्रकार के रकबे में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे इसलिए भी अपील खारिज योग्य है। अपीलांट ने इस अपील में एक तरफा आदेश के खिलाफ अपील पेश करके अनतोष चाहा है जबकि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे एक तरफा आदेश के निरस्त करने का अनुतोष ले सकते थ अपीलांट को ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील करने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए अपील खारिज योग्य है। अपीलांट का इस रकबा पर लगातार कब्जा काश्त नहीं है अपीलांट के लगातार उक्त रकबा पर काश्त नहीं की है अपीलांट के अपील के साथ कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि उसने इस रकबे को लगातार काश्त होना भी कानूनी अनिवार्य है अपील खारिज योग्य है।जैर प्रकरण रकबा जमाबंदियो में शुरू से ही आराजीराज था यह रकबा लगातार कब्जा काश्त के अभाव में निरस्ती योग्य था अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है। जैर प्रकरण में रकबा का टीसी निरस्ती हेतु श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को अधिकृत किया था अस्थायी आवंटन नियम 1955 के नियम 4(5) के अनुसार तहसीलदार को शक्तियां है तथा नियम 23 के अनुसार तहसीलदार को अधिकार भी है इसलिये मातहत न्यायालय का निर्णय युक्ति युक्त है।अपीलांट का टीसी आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा नहीं किया गया है अतः मौखिक बहस के साथ लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि अपील पूर्णतया मियाद बाहर होने से तथा अपीलांट को जैर प्रकरण रकबे में कोई हक प्राप्त नहीं हो सकता है। टीसी आवंटन शर्त के अनुसार अपीलांट शर्त भी पूरी नहीं करता है व अपीलांट के नाम लगातार टीसी नवीनीकरण नहीं है व लगातार कब्जा काश्त भी नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि संगत होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया एवं हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया अपीलांट ने अपीलमीमों में अंकित किया है कि तहसीलदार सूरतगढ द्वारा मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करने पर पाया कि आवंटी बद्री प्रसाद पुत्र श्री किशनाराम की मृत्यु दिनांक 06.05.2002 को हो गई थी। उनकी मृत्यु के सम्बंध में कोई सूचना अपीलांट द्वारा तहसीलदार सूरतगढ को प्रस्तुत नहीं की गई थी। अपीलांट का मूल कर्तव्य था कि वह आवंटी की मृत्यु की सूचना तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष प्रस्तुत करते। अतः अपीलांट का यह कथन कतई सिद्ध नहीं होता कि तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है क्योंकि रकबे का नवीनीकरण वारिसों के नाम पर वर्ष 2004 में दर्ज हो चुका था। अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के ख.न. 458 की 6.325 है0 भूमि को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टीसी) पर आवंटन हुई थी। मूल आवंटी को टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया गया था। उक्त टीसी आवंटन को पुख्ता करवाने हेतु अपीलांट द्वारा ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा ना ही अपीलांट का टीसी आवंटन पुख्ता हुआ है। अपीलांट का टीसी खारिज होने के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है जिससे उसका कब्जा काश्त साबित हो, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से अपीलांट का कब्जा काश्त सिद्ध नही हो रहा है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा टीसी आवंटन की शर्तो की अक्षरक्षः पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पारित निर्णय प्रकरण संख्या 127/2006 अनवान सरकार बनाम बद्रीप्रसाद पुत्र किशनाराम वाल्मिकी निवासी सूरतगढ, राजकुमार रतनलाल पि. बद्रीप्रसाद वाल्मिकी निर्णय दिनांक 04.09.2006 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित वापिस लौटाया जावे पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 13:45:51 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला श्री गंगानगर)
सूरतगढ

Scanned with OKEN Scanner